आज का विचार

कठोर कानूनी प्रावधान लागू हो जाने पर अपराध करने वालों में न केवल कानून का डर पैदा होता है साथ ही सजा के भय से अपराध भी रूकते हैं।

शिवकुमार त्रिवेदी चिंतन सरिता)

दैनिक
लोकजीवन

ऑनर-किलिंग व मॉब लिंचिंग

देश में आज सबसे दुःखद स्थिति बनी हुई है कि सम्मान के लिए हत्या और भीड़ द्वारा हत्या का ऐसा दौर चल रहा है जिस पर प्रधानमंत्री द्वारा सख्ती के बावजूद भीड़ द्वारा हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी भीड़ द्वारा हिंसा पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि हिन्दू धर्म को बदनाम करने के लिए इस प्रकारकी हिंसा करके समाज में नफरत फैलाई जा रही है। गरीब मजदूर या पशुपालक सकुशल घर लौट पाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है क्योंकि कहीं गौ तस्करी के नाम पर तो कहीं जयकरा नहीं लगाने पर उदंड लोगों की भीड़ हमलावर होकर हत्या करके भी बेकसूर बनी हुई है बच्चों की चोरी या चेरी का इल्जाम लगाकर कानून हाथ में लेन वाली भीड़ पर पुलिसकार्यवाही नहीं कर पा रही है ते गैर बिरादरी या प्रेम विवाह से आहत अभिभावक नवदम्पत्ति को मौत के घाट उतारना अपना अधिकार मान बैठे है। इस प्रकार की बेरहम हत्यायें करने वो कैसे समाज में स्वयं को विजेता के तौर पर पेश कर रहे है।

निसंदेह मॉब लिंचिंग की घटनाओं ने समाज को झकझोर दिया है राजस्थान सरकार ने इसे न केवल गंभीरता से लिया है और ऑनर किलिंग व मॉब लिंचिंग के खिलाफ सख्त कानून बनाया है जिसमें ऑनर किलिंग पर फांसी तथा मॉब लिंचिंग पर आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है संसदीय कार्य मंत्री द्वारा विधानसभा में पेश विधेयक पर 5 अगस्त को बहस प्रस्तावित है विधेयक पारित हुआ तो मणिपुर के बाद राजस्थान देश का दूसरा प्रदेश होगा जिसने ऐसा कानून बनाया है विधेयक में मॉब लिंचिंग में पीड़ित की मृत्यु होने पर ऐसा करने वालों पर और उनका सहयोग करने वाले लोगों को आजीवन कारावास व 5 लाख रूपये के अर्थदंड की सजा मिल सकती है इसे गैर जमानती अपराध बनाया गया है। जबकि गंभीर घायल होने पर दस साल तक की कैद और तीन लाख रूप में जुर्माना होगा। जिला मजिस्ट्रेट लिचिंग की आशंका पर किसी आयोजन को रोक सकेगा। आवश्यकता इस बात की है कानून बनाने के साथ-साथ इसकी व्यापक जानकारी के प्रयास भी किये जाये ताकि समाज में जागरूकता आ सके और दुष्प्रवृति पर अंकुश लगे।

कड़वी घूंट -सूरज

कर्ज और आत्महत्या

तैते पांव पसारिये जेती लाम्बी सौटी अर्थात जितनी चादर है उतने ही पांच पसारने की नसीहत इसलिए दी गई है कि हमें यह अहसास रहे कि चादर के आकार से बाहर पांच निकले तो खतरा झेलने को भी तैयार रहिए, जब तक आपको अपनी क्षमता और सामर्थ्य का भान है अपनी सीमा के भीतर रहकर ही कारोबारक रेंगे तो मान सम्मान व स्वाभिमान की भी रक्षा होगी और असफलता की दशा में भी किसी का दबाव नहीं बन पाएगा। विपरित इसके लोग इसलिए उधार लेते रहते है कि उधार मिल रहा है लेते समय यह अंदाज नहीं रहता कि चुकाने के समय समय परिस्थिति कैसी रहेगी, क्या उधार लेकर जहां निवेश कर रहे है वह लाभकारी रहेगा या नुकसान में धकेल देगा यदि नहीं चुका पाये तो क्या होगा।

हां चुकाने के समय पता चलता है कि हमने कर्ज ही इतना ले लिया कि न चुका पा रहे है और न ही मांगने वालों का दबाव झेल पा रहे है। प्रताड़ना से आहत होकर कर्नाटक के कैफे कारोबारी पूर्व मुख्यमंत्री के दामाद सिद्धार्थ ने नदी में कूद कर आत्महत्या कर ली। जबकि कारोबार अरबो का कर रहे थे। अब यह आप जानो कि कर्ज राशि कम हो या ज्यादा नहीं चुका पाने की स्थिति में आत्म हत्या का विकल्प जीवन और कर्ज दोनों से मुक्त कर देता है।

बदलती दलीय व्यवस्था तथा भारत में संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था की वर्तमान चुनौतियां - सेमीनार

जनता के हितों की रक्षा करना जनप्रतिनिधि की पहली जिम्मेदारी : पूर्व राष्ट्रपति मुखर्जी

लोकजीवन न्यूज नेटवर्क, जयपुर

पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने विधानसभा में कहा कि भारतीय संसदीय व्यवस्था हम सभी के सतत् संघर्ष की परिणिति है। यह व्यवस्था न तो हमें सहजता से मिली है और ना ही ब्रिटिश सरकार से उपहार में मिली है।

मुखर्जी गुरूवार को विधानसभा में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ राजस्थान शाखा एवं लोकनीति- सीएसडीएस के संयुक्त तत्वावधान में विधायकों के लिए आयोजित एक दिवसीय सेमीनार चेंजिग नेचर ऑफपार्लियामेंट डेमोक्रेसी इन इंडिया में उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। मुखर्जी ने भारतीय संविधान के अंगीकार से लेकर इसके वर्तमान स्वरूप तक हुए बदलावों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि संविधान में लगातार संशोधन हुए हैं लेकिन फिर भी हमने अब तक इसकी मूल आत्मा को जीवित रखा है। उन्होंने राष्ट्रमण्डल के गठन की जानकारी देते हुए बताया कि भारत सरकार के प्रयासों से यह संभव हुआ कि इसके नाम से ब्रिटिश शब्द को हटाया गया।

मुखर्जी ने बताया कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं है। लेकिन यह संविधान का अभिन्न अंग है। उच्चतम न्यायालय में बहुत से महत्वपूर्ण निर्णय इस आधार पर लिये गये हैं। उन्होंने गोलकनाथ, केशवानन्द भारती जैसे महत्वपूर्ण प्रकरणों की जानकारी देते हुए बताया कि किस तरीके से भारतीय संसदीय व्यवस्था में लगातार बदलाव हुए है। उन्होंने विधायकों को अनुच्छेद 368 के पुराने तथा नए स्वरूप को गहनता से अध्ययन करने के लिए कहा जिससे संविधान संशोधन की प्रकिया में हुए बदलाव की जानकारी मिल सके। मुखर्जी ने कहा कि जनप्रतिनिधि जनता द्वारा निर्वाचित होते है इसलिए उनकी सबसे पहली जिम्मदारी जनता के हितों की रक्षा करना है।

सेमीनार को सम्बोधित करते हुए राष्ट्रमण्डल संसदीय संघ की राजस्थान शाखा के उपाध्यक्ष मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपने व्यक्तित्व एवं व्यक्तित्व से देश के समृद्ध संसदीय लोकतंत्र का गौरव और बढ़ाया है। अपने लम्बे सार्वजनिक जीवन में मुखर्जी जिस भी पद पर रहे हैं वहां उन्होंने अपनी विशिष्ट कार्यशैली की अमिट छाप छोड़ी है। मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। निर्वाचन आयुक्त सुशील चन्द्रा ने कहा कि संसदीय लोकतंत्र के लिए सभी के विचारों को सुनना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग के सामने मतदाताओं को मतदान करने के लिए प्रेरित करना सबसे बड़ी चुनौति है। उन्हों कहा कि वर्ष 2009 से 2014 तक देश में आठ करोड़ नए मतदाता जोड़े गए। वर्ष 2019 के लोक सभा चुनावों में स्वीप कार्यक्रम के तहत 91 करोड़ मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया।

गहलोत ने कहा कि राष्ट्रमण्डल संसदीय संघ की राजस्थान शाखा की ओर से यह आयोजन एक अच्छी शुरूआत है। इससे निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को व्यक्तित्व निर्माण और संसदीय लोकतंत्र में उनकी भूमिका के बारे में जानने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि संसदीय लोकतंत्र में यह महत्वपूर्ण है कि हम सब जनप्रतिनिधि समाज और आमजन के हित में क्या योगदान देते हैं। जनकल्याण में हमारी प्रभावी भूमिका ही लोकतंत्र और देश का भविष्य निर्धारित करती है।

इस अवसर पर विधानसभा के अध्यक्ष एवं अध्यक्ष सीपीए राजस्थान शाखा डॉ.सी.पी.जोशी ने बताया कि प्रदेश एवं विधानसभा में पहली बार आयोजित यह सेमिनार 15वीं विधानसभा एवं विधानसभा के पूर्व सदस्यों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। उन्होंने कहा कि देश में राजनीति के बदलते दौर में सदस्यों को देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाये रखने के लिए यह सेमीनार अपने दायित्व का भी बोध करायेगी। उन्होंने कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के राजनीतिक जीवन पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इन्दिरा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में मुखर्जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह के समय पूरी दुनिया आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रही थी लेकिन प्रणब मुखर्जी ने वित्त मंत्री रहते हुए इस आर्थिक मंदी में भी भारत की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ रखा। विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चन्द कटारिया ने कहा कि दीर्घ राजनैतिक अनुभव रखने वाले पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के ज्ञान का हमें लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में देश एवं विभिन्न राज्यों में अलग-अलग पार्टियों का शासन है लेकिन सबका मकसद लोकतंत्र को मजबूत बनाना है। उन्होंने कहा कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने लोकतंत्र को आगे बढ़ाया इसमें जनता का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा हैए हमें इनसे प्रेरणा लेनी होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सी.पी. जोशी, प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चन्द कटारिया एवं विधायक संयम लोढ़ा ने पूर्व राष्ट्रपति एवं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि को खुशहाली के प्रतीक हरित पौधे भेंट कर स्वागत किया इससे पहले मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्जवलित कर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर मंचासीन अतिथियों द्वारा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को राजस्थान विधानसभा भवन की आक्ति का स्मृति चिन्ह भेंट किया। कार्यक्रम के अन्त में सीएसडीएस के निदेशक प्रोफेसर संजय कुमार ने आभार व्यक्त किया तथा संचालन डॉ.ज्योति जोशी ने किया।

विवाद्यकों के स्थिरिकरण के लिए सम्मन

(आदेश 5 के नियम 1 और 5)

न्यायालय श्रीमान सिविल न्यायाधीश महोदय (पश्चिम), भीलवाड़ा

दिनेश तोषनीवाल — वादी

सुनित व अन्य — प्रतिवादी

वाद संख्या सन् 20/19 ईदी

प्रेषित

नाम सुमित पिता का नाम प्रेमचन्द जी जाति जैन निवासी डांगी साहब का मकान, नगर परिषद के सामने भीलवाड़ा वादी ने आपके विरूद्ध वादी ने के लिए वाद संस्थित किया है। आपको इस न्यायालय में तारीख 7.8.19 को दिन में 10.00 बजे दावे का उत्तरप्देने के लिए उपसंजात (हाजिर) होने के लिए सम्मन किया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उप संजात हो सकते है जिसे सम्यक अनुदेश दिए गये हो और जो इस वाद से संबंधित सभी सारवान प्रश्नों के उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके (आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन दाखिल करें और उस दिन ऐसी सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपको प्रतिरक्षा या मुजराई का दावा आधारित है और यदि किसी अन्य दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो या न हो, अपनी प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो और इसी दस्तावेजों की लिखित कथन के साथ उपाबद्ध को जाने वाली सूची में प्रविष्टि करें।)

आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उप संजात नहीं होंगे तो बाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा।

यह आज ता. 01.08.19 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई। नकल पूर्व में पेश है।

रीडर

सिविल न्यायाधीश एवं

न्यायिक मजिस्ट्रेट (पश्चिम)

भीलवाड़ा राज.

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, भीलवाड़ा आगार

निविदा सूचना

निगम बस स्टेण्डों पर कॅटीन स्टाल लाईसेंस पर लेने का सुनहरा अवसर

क्र.स.	स्टॉल की प्रकृति	साईज	विशेष विवरण
1.	स्वनिर्मित आइसक्रीम एवं मटका कुल्फी ठैला	6X6 FT	05.08.19 से प्रारम्भ होगा
2.	गन्ना चरखी, भुट्टा स्टॉल	6X6 FT	05.08.19 से प्रारम्भ होगा
3.	साईकिल स्टेण्ड	70X100 FT	05.08.19 से प्रारम्भ होगा
4.	जनरल स्टोर रजाई बिस्तर	10X15 FT	05.08.19 से प्रारम्भ होगा
5.	बुक स्टॉल	2X2 FT	05.08.19 से प्रारम्भ होगा

निविदा प्रपत्र एवं शर्तें निर्धारित राशि रूपये 200/- रूपये नकद जमा करवाकर निम्नहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते है। निविदा प्रपत्र के साथ निर्धारित धरोहर राशि रूपये 25000/- नकद अथवा डी.डी./बैंकर्स चैक मुख्य प्रबन्धक, राजस्थान परिवहन निगम भीलवाड़ा आगार के नाम हो, के रूप में जमा करानी होगी। निर्धारित धरोहर राशि जमा कराये बिना प्रस्ताव मान्य नहीं होंगे।

इच्छुक व्यक्ति/संस्थान अपने प्रस्ताव दिनांक 13.08.2019 को मध्यान्ह पश्चात् 15.00 बजे तक निम्नहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष सील्ड लिफाफे में प्रस्तुत कर सकते है जो उसी दिन सायं 15.30 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोले जावेंगे। किसी भी प्रस्ताव या सभी प्रस्तावों को बिना कारण बताये अस्वीकार करने का निगम को पूर्ण अधिकार होगा।

Raj./Samwad/C/1752/2019-20

मुख्य प्रबंधक

एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम), मिनीरत्ना - ।। कम्पनी

मांगूसिंह राजवी मार्ग, पावटा, जोधपुर (राज.)

फोन नं. 0291-2544392, वेबसाइट www.fagmil.nic.in

निविदा आमंत्रण सूचना

फेगमिल के विभिन्न कार्यों (1) कावनी जिप्सम खान में Core Drilling (2) मोहनगढ़-1 जिप्सम खान में पौधारोपण (3) पदमपुरा जिप्सम खान एवं नोहराधार (हिमाचल) लाइम स्टोन खान के लिए माइनिंग प्लान (4) ठेठार जिप्सम खान से पाउडर जिप्सम आपूर्ति (5) विभिन्न खानों की Environment Monitoring सम्बंधित कार्य (6) किशनपुरा खान का फाईनल माइन क्लोजर प्लान इत्यादि कार्य के लिए 'दो बोली प्रणाली' के तहत ऑनलाइन/ऑफलाइन निविदाएं आमंत्रित की जाती है। पूर्ण जानकारी के लिए वेबसाइट www.fagmil.nic.in देखें। किसी भी प्रकार का संशोधन/भूल-सुधार बाबत् सूचना कम्पनी की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी।

DAVP 02208/11/0002/1920

महाप्रबंधक

रंजन पोलिस्टर्स लिमिटेड

कॉरपोरेट आइडेंटिटी नंबर (सीआईएन): L24302RJ1990PLC005560

पंजीकृत कार्यालयः 11-12TH, की.मी.स्टोन, चित्तौड़गढ़ रोड, गुवारड़ी, भीलवाड़ा - 311001(राजस्थान), इंडिया

फोनः 01482-249095, ई-मेलः ranjanpoly@gmail.com

वेबसाइटः www.ranjanpolysters.com

सूचना

सूचना सेबी (सूचियन दायित्व एवं उद्घाटन अपेक्षा) विनिमयन 29 एवं 47 के अनुपालना में एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक सोमवार, 12अगस्त, 2019 को कंपनी के पंजीकृत कार्यालय 11-12TH, कि. मी.स्टोन, चित्तौड़गढ़ रोड, गुवारड़ी, भीलवाड़ा -311001(राजस्थान) में शाम 4 बजे, 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणामों की अनुशंसा पर विचार अनुमोदन करने हेतु आयोजित की जाएगी।

निवेशक कंपनी की वेबसाइट (www.ranjanpolysters.com) पर मंडल की बैठक का विवरण देख सकते हैं।

बोर्ड की आज्ञानुसार

रंजन पोलिस्टर्स लिमिटेड के द्वारा

Sd/-

(चित्रा नराणीवाल)

कंपनी सचिव

दिनांकः 02.08.2019

स्थानः भीलवाड़ा